"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जनवरी 2018 — पौष 21, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-22/2009/20-दो. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-दो (अ) में, शीर्षक (अ) "लिपिक वर्गीय श्रेणी" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"3	सहायक ग्रेड-एक	11	-	100%	-	-"

2. अनुसूची-दो (ब) में, शीर्षक (अ) "लिपिक वर्गीय श्रेणी" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2	सहायक ग्रेड-एक	40	-	100%	-	-"

3. अनुसूची-दो (द) में, शीर्षक (अ) "लिपिक वर्गीय श्रेणी" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2	सहायक ग्रेड-एक (डी. आई. ई. टी.)	09	-	100%	-	-"

No. F 4-22/2009/20-2. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Education Department Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-II (A), under heading (A) "Ministerial Grade" for serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"3	Assistant Grade-I	11	-	100%	-	-"

2. In Schedule-II (B), under heading (A) "Ministerial Grade" for serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2	Assistant Grade-I	40	-	100%	-	-"

3. In Schedule-II (D), under heading (A) "Ministerial Grade" for serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2	Assistant Grade-I (D. I. E. T.)	09	-	100%	-	-"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.